

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश /1935 /2019

दिनांक 30.09.2019

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/1812/2019 दिनांक 13.09.2019 की निरन्तरता में श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167), निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को दिनांक 20.09.2019 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा "अत्री" की अनुपस्थिति में अति. निदेशक (अकादमिक), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

 30.9.19

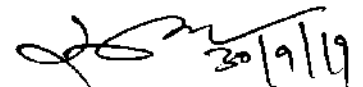
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/32/2013/ 9223

दिनांक 30.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को उनके पत्रांक 63 दिनांक 21.09.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167), निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
4. अति. निदेशक (अकादमिक), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार